



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात चाद संख्या-19/2013

राज्य

बनाम

उमेश यादव

—: आदेश :—

28/4/13

वर्तमान चाद की प्रक्रिया अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 100/आ0 दिनांक 01.04.2013 के द्वारा दिनांक 06.03.2013 को ग्राम-नामुदाग मंदिर के पास टेम्पो से जप्त 6.50 क्विंटल चावल एवं 60 कि०ग्रा० मकई को राजसात की कार्रवाई हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रारम्भ किया गया।

यह चाद मनिका थाना काण्ड संख्या-20/2013 दिनांक 16.03.2013 से संबंधित है।

राज्य की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 100/आ0 दिनांक 01.04.2013 में कहा गया है कि प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनिका के पत्रांक 06 दिनांक 26.03.2013 से सूचित किया गया कि दिनांक 06.03.2013 को 13 बोरे में 6.50 क्विंटल चावल एवं एक बोरा में 60 किलोग्राम मकई श्री उमेश यादव, पिता-श्री जीतन यादव, ग्राम-चेचेन्हा थाना-मनिका द्वारा कालाबाजारी करने हेतु ले जाया जा रहा था, जिसे ग्राम-नामुदाग मंदिर के पास टेम्पो रजि० नं०-JH19A-2520 से जप्त किया गया है। उक्त अनाज से संबंधित कागजात की मांग करने पर उमेश यादव द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात् उक्त खाद्यान्न को सरकारी समझ कर दो गवाहों के समक्ष जप्त कर मो० सलिम पिता-स्व० देवा मियां ग्राम-नामुदाग, थाना-मनिका, जिला-लातेहार को जिम्मेनामा पर सुपूर्द कर दिया गया तथा उक्त घटना की प्राथमिकी मनिका थाना में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत थाना काण्ड संख्या-20/2013 दर्ज किया गया।

विपक्षी के द्वारा लिखित बयान न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसमें अपना पक्ष रखा है कि विपक्षी के पास से बरामद चावल 13 बोरा (वजन

91

प्रति बोरा-50 किलोग्राम) व मकई एक बोरा (वजन 60 किलोग्राम) विपक्षी के घर की पैदावार है। उपरोक्त अनाज के बरामदगी के संबंध में अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में आवेदक के विरुद्ध जी०आर० 167/13 लंबित है। अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में लंबित जी०आर० 167/13 में विपक्षी जमानत पर है तथा बरामद अनाज आवेदक के पक्ष में मुक्त कर दिया गया है। विपक्षी के विरुद्ध उपरोक्त काण्ड में लगाए गए सारे आरोप निराधार व बेबुनियाद है तथा कोई कालाबाजारी नहीं किया गया है। चावल व मकई आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत नहीं आता है। इसलिए विपक्षी के विरुद्ध चलाये जा रहे राजसात की कार्रवाई को न्यायाधीन में समाप्त किया जाय।

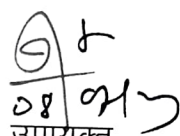
राज्य सरकार की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं विपक्षी द्वारा दिया गया लिखित बयान तथा अभिलेख के दस्तावेजों का अवलोकन किया।

उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उक्त काण्ड में जप्त अनाज को अनुमण्डलिय न्यायिक दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय से पूर्व में मुक्त किया जा चुका है एवं इस मामले में लम्बी अवधि भी बीत चुकी है। अब इस मामले को infructuous मानते हुए वाद को समाप्त किया जाता है।

आदेश की प्रति विपक्षी, थाना प्रभारी, मनिका थाना, अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को भेजें।

अभिलेख, अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

  
उपायुक्त,  
लातेहार।

  
उपायुक्त,  
लातेहार।